मिसल नम्बर 26/2021
निर्णय दिनांक 02–07–2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– कृष्ण सिंह
मिसल नम्बर :– **26/2021**

सरकार

बनाम

राजपाल पुत्र श्री बालू सिंह जाति राजपूत निवासी गाडराटा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राजस्थान।

..................गैर सायल

(अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट–1956)

दिनांक :– 02–07–2021

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर गैर सायलान की ओर से आज कोई हाजिर नही। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहिर हुआ है कि पटवारी हल्का गाडराटा के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि **राजस्व ग्राम गाडराटा** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 438 रकबा 1.38 हेक्टेयर किस्म बजड़–2 एवं बारानी 3 के रकबा 0.10 है0 पर गैर सायल राजपाल पुत्र श्री बालू सिंह जाति राजपूत निवासी गाडराटा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 ने नींव खोदकर एवं नींव भरकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। जिनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का गाडराटा के गैर सायल के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमि के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। न्यायालय हाजा से जारी नोटिस की ताईद में गैर सायल द्वारा नोटीस जवाब एवं सबूत पेश करने हेतु समय दिये जाने के उपरान्त गैर सायल की ओर से कोई उपस्थित नही आ रहा है ना ही गैर सायल की ओर से नोटीस जवाब एवं कोई ठोस सबूत पेश किये गये है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् एवं पटवारी रिर्पोट का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से सपष्ट है कि गैर सायल राजपाल पुत्र श्री बालू सिंह जाति राजपूत निवासी गाडराटा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज0 ने **राजस्व ग्राम पपुरना** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 438 रकबा 1.38 हेक्टेयर किस्म बजड़–2 एवं बारानी 3 के रकबा 0.10 है0 पर नीव खोदकर एवं नीव भरकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। गैर सायल को राजकीय भूमि को अनाधिकृत रुप से अपने अभियोग में लेने या रखने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। राजकीय भूमिया राजकीय प्रयोजनो के लिए सुरक्षित रखी गयी है।

(लगातार)

तहसीलदार खेतड़ी
जिला झुन्झुनू (राज.)

मिसल नम्बर 26/2021
निर्णय दिनांक 02-07-2021

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार पटवारी हल्का गाडराटा की रिर्पोट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–: **आदेश** :–

अतः प्रकरण में गैर सायल की अनुपस्थिति में गैर सायल के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का गाडराटा के प्रश्नगत भूमि पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर **राजस्व ग्राम गाडराटा** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 438 रकबा 1.38 हेक्टेयर किस्म बजड़–2 एवं बारानी 3 के रकबा 0.10 है0 पर से **बेदखल** किया जाता है तथा गैर सायल से शरह लगान 1 रूपये का 50 गुणा = 50/- रूपये तावान कायम व वसूली का आदेश दिया जाता है। तहसील राजस्व लेखाकार से राजस्व लेखों में मांग कायमी व पटवारी हल्का गाडराटा से तावान की वसूली करवाई जावे। गैर सायल की **राजस्व ग्राम गाडराटा** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 438 रकबा 1.38 हेक्टेयर किस्म बजड़–2 एवं बारानी 3 के रकबा 0.10 है0 भूमि पर से भौतिक मौका बेदखली हेतु सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का के नाम निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02–07–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

तहसीलदार खेतड़ी
(कृष्ण सिंह)
जिला झुंझुनूं (राज.)
तहसीलदार खेतड़ी